[illegible] - हजारीबाग

[illegible] अनुभाग मंत्रिमंडल

श्रम ब्यूरो

[illegible] 26.34, [illegible] 17 [illegible] 17

[illegible] 02.2020

टी.आर.24, खजाना नियम 272

आवधिक वेतन–वृद्धि का प्रमाण पत्र [illegible] /2020

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सरकारी कर्मचारियों ने स्तम्भ 6 में दी हुई दिनांक से निर्धारित आवधिक वेतन-वृद्धि प्राप्त कर ली है । यह [illegible] पान से पहले वे सिविल पद पर स्तम्भ 5 में दी हुई दिनांक से कम से कम एक वर्ष की अवधि की गणना करते समय अवकाश के कारण हुई मुअत्तली और बिना वेतन अवकाश की अवधि तथा खोदे [illegible] पर भूत में काम कर रहे हैं तो ओसत सहित अवकाश की अवधि अन्य सभी प्रकार के अवकाश की अवधि घटा दी गई है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिस/जिन स्थानापन्न कर्मचारियों का/के नाम दिए गए हैं उनके द्वारा प्राप्त अवकाश अवधि (या) वेतन–वृद्धि की गणना में ली गई है जिस दौरान यदि [illegible] अवकाश [illegible] नीचे वे वर्तमान पद/पदों की स्थानापन्न रहें ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन कर्मचारियों के नाम दिए हैं उन्होंने उल्लिखित दिनांक से वेतन-वृद्धि प्राप्त कर ली । इसके कारणों का उल्लेख साथ लगे व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया [illegible]

[illegible]	पद का वेतनमान	[illegible]	[illegible] दिनांक से मिल रहा है	आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक	आगामी वेतन	[illegible] वेतन-वृद्धि के लिए गणना में नहीं लिया [illegible]	[illegible] की अवधि के [illegible] रूप से कार्य कर रहे हैं उनके मामलों में सभी प्रकार के अवकाश की अवधि जिसके दौरान वह पदों पर स्थानापन्न रहते हैं।
1 श्रीमति कुसुम लता, अं श्रे-II	वेतन मैट्रिक्स का लेवल-6	Rs. 38700/- (Cell-4)	01.07.2018	02.09.2019**	Rs.39900/-(Cell-5)	-	-

**Officer joined duty on 02.09.2019 after availing Maternity Leave from 03.07.2018-30.12.2018 and CCL from 31.12.2018-30.08.2019 and 31.08.2019 and 01.09.2019 being Saturday and Sunday respectively.

(राकेश कुमार)
अनुभाग अधिकारी

वितरण:-

1. संबन्धित सभी अधिकारी
2. रोकड़ अनुभाग / कार्यालयाध्यक्ष
3. कार्यालय आदेश पुस्तिका